मिसल नम्बर 86/2020
निर्णय दिनांक 19–11–2020

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– 86/2020

सरकार

बनाम

मदन पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

.....................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 19–11–2020

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का मानोता कलां के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम मानोता कलां** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर पर गैर सायल मदनलाल पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने राजकीय पर टॉयलेट बाथरुम बनाकर एवं छड़ी बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मानोता कलां के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस मे राजस्व ग्राम मानोता कलां की भूमि खसरा नम्बर 184 के रकबा 0.40 हक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान की भूमि पर टॉयलेट बाथरुम बनाकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल मदनलाल पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने राजस्व ग्राम मानोता कलां स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर पर टॉयलेट बाथरुम बनाकर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय राजकीय भूमि को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirshan Singh
Date: 2021.02.11 12:55:55 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
तहसील खेतड़ी जि० झुं...

Scanned with CamScanner

मिसल नम्बर 86/2020
निर्णय दिनांक 19–11–2020

(लगातार)

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का मानोता कलां की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: **आदेश** :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मानोता कलां के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम मानोता कलां** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का मानोता कलां से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम मानोता कलां** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील खेतड़ी
(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी

रा. ले. सं. 4 वर्ष 20-21
पृष्ठ नं. 186 तावान 150/-
कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirshan Singh
Date: 2021.02.11 12:55:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner